भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
24.9.19		

विविध वाद सं0– ...05....(B.C.) / 2019–20 / CNT–46

जितेन महतो, पिता–स्व0 सहदेव महतो ....आवेदक

--------बनाम--------

छाया रानी महतो, पति–मनोज महतो .... क्रेता

आदेश

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदक (विक्रेता) जितेन महतो, पिता–स्व0 सहदेव महतो, ग्राम–पैरागुड़ी, थाना–गालुडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति–''कुर्मी'' (पिछड़ा वर्ग) द्वारा निम्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता छाया रानी महतो, पति–मनोज महतो, पिता–सुबोध महतो, ग्राम–खोचाबाजार, थाना–गोबिन्दपुर, जिला–पूर्वी सिहभूम, जमशेदपुर जाति–''कुर्मी'' (पिछड़ा वर्ग) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया हैं:–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
घाटशिला	बागबिन्धा	1252	26	228	0.31 ए0

संबंधित अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांकः–04 / 06 / 2019 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरूद्व किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 19 / 06 / 2019 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।

अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक–641, दिनांकः–05 / 08 / 2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा अपत्ति नही दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में आवेदक के पितामह नरसिंह महतो, पिता–कार्तिक महतो के नाम पर दर्ज है। आवेदक उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा हैं। आवेदित भूमि आवेदक के पितामह नरसिंह महतो के नाम से खतियान एवं पंजी–2 में दर्ज है तथा उन्होंने आंशिक भूमि बेचना चाहते है। लगान वर्ष 2018–19 तक देय है। आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास लगभग दो एकड़ से अधिक भूमि अवशेष बचता है। इस संबंध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र संख्या–..50.., दिनांक–..23.. / ..09.. / 2019 दाखिल किया गया है। मुखिया, ग्राम पंचायत बड़ाखुर्शी का आवेदित भूमि से संबंधित वंशावली प्राप्त है। प्राप्त वंशावली के अनंसार शेष अंशदार श्री सुशांत महतो, पिता–स्व0 सहदेव महतो की ओर से अनापत्ति शपथ–पत्र संख्या–...51... , दिनांक–...23 / ..09.. / 2019 दाखिल किया गया है।

आवेदित भूमि बेचने के पश्चात आवेदक का जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता हैं। आवेदक (विक्रेता) एवं क्रेता दोनो एक ही जिला क्षेत्र के

24/09/19

निवासी हैं तथा पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं। इसके संबंध में बिक्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC/2018/1402344, दिनांक–23/02/2019 तथा अंचल अधिकारी, घाटशिला का कार्यालय द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–JHCC/2019/105473, दिनांक–12/02/2019 तथा क्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी, का कार्यालय, घाटशिला द्वारा निर्गत ऑन लाईन आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC/2019/193286, दिनांक–23/02/2019, तथा अंचल अधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–JHCC/2019/222406, दिनांक–24/02/2019 तथा आधार कार्ड, लगान रसीद आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

आवेदक 0.31 एकड़ भूमि को ऋण की वसूली अदायगी की प्रतिपूर्ति एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल–10,00,000.00/–(दस लाख) रूपये में बेचना चाहते हैं।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी घाटशिला से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा–बागबिन्धा, थाना नं0–1252, खाता नं0–26, प्लॉट नं0–228 रकवा–0.31 एकड़ भूमि की अन्तरण हेतु आवेदक (बिक्रेता) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता हैं कि क्रेता–बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल/ कब्जा/कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वंय जिम्मेवार होगें।

लेखापित एवं संशोधित

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला।	अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता , घाटशिला।